न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

उपस्थित :– राज नारायण निगम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

Special Case (CH) No. 30/2023

पीरपैंती थाना कांड संख्या–90 / 2020

आरोप गठन–376 भा0द0वि0 4 पोक्सो एक्ट

निर्णय की तिथि. 10.06.2026

बिहार सरकार ..... **अभियोजन**

Versus

1- एस0के0 (विधि विरूद्ध बालक) (The real name of the CCL is withheld to protect his identity), पे0–स्व0 आर0डी0

ग्राम–सोनबर्षा दास टोल वार्ड नंबर–15, थाना–बिहपुर, जिला–भागलपुर

----------विधि विरूद्ध बालक

Appearance

Counsel on behalf of the prosecution:- मसो0 विणा यादव, विशेष लोक अभियोजक

Counsel on behalf of the defence:- श्री गोपाल प्रसाद मंडल, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्व धारा–**376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट** कारित करने का आरोप है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका की बहन सुलोचना देवी आग में झुलस गई थी जिसको देखने के लिए सूचिका मायागंज में उसके साथ थी। दिनांक 24.01.2023 को सूचिका की बड़ी बेटी अन्नू कुमारी फोन करके बताई कि पड़ोस का विधि विरूद्ध बालक एस0के0 ने एन0के0 पीड़िता के साथ बलात्कार किया और धमकी देकर गया कि थाना में केस करेगी तो जान से मार देंगे। उसके बाद सूचिका वापस घर आई तो उसकी पीड़िता बेटी घटना के बारे में सारी बात बताई।

3. सूचिका पिंकी देवी के लिखित बयान के आधार पर बिहपुर थाना कांड संख्या–40 / 2023 दिनांक–28.01.2023 को औपचारिक प्राथमिकी विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–156 / 2023 दिनांक 27.05.2023 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट का विद्वान किशोर न्या0 बोर्ड, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया। ततपश्चात् प्रस्तुत वाद विचारण एवं निष्पादन के क्रम में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किशोर न्याय परिषद् भागलपुर से इस न्यायालय को

दिनांक 20.09.2023 को निष्पादन के लिये इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। श्रीमान विशेष बाल न्यायालय, भागलपुर द्वारा दिनांक 05.01.2024 को विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षी पी0डी0 पीड़िता के पिता, ए0के0 पीडिता की बहन, पी0एन0डी0 पीड़िता की मॉ, एन0के0 पीड़िता, अनुसंधानकर्ता दिपिका जुही, कविता देवी एवं अमरजीत कुमार का बयान हुआ है। अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नांकित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है :–

प्रदर्श पी–1/पीडब्लू–3–	सूचिका का फर्दबयान पर हस्ताक्षर
प्रदर्श पी–2/पीडब्लू–3–	धारा 164 द0प्र0स0 के बयान पर गवाह के रूप में सूचिका का हस्ताक्षर
प्रदर्श पी–2/1/पीडब्लू–4–	धारा 164 द0प्र0स0 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर
प्रदर्श पी–3/पीडब्लू–5–	पृष्ठांकन
प्रदर्श पी–4/पीडब्लू–5–	औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर
प्रदर्श पी–5/पीडब्लू–5–	आरोप पत्र पर हस्ताक्षर

5. दिनांक 21.05.2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया एवं दिनांक 10.06.2026 को विधि विरूद्ध बालक का धारा 313 के अंतर्गत बयान लिया गया जिसमें विधि विरूद्ध बालक ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में विचारण का मुख्य विषय यह है कि क्या अभियोजन पक्ष विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

10.6.26

7. अभियोजन द्वारा कुल–07 साक्षियों का बयान कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 ए0के0, अभियोजन साक्षी संख्या–06 कविता देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–07 अमरजीत कुमार पक्षद्रोही घोषित हो गये है और घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किये है।

अभियोजन साक्षी संख्या–01 पी0डी0 कहा है कि घटना आज से लगभग तीन साल पहले की है। तारीख याद नही है। पीड़िता मेरी बेटी है। घटना के दिन मैं अपने घर पर नही था और जब शाम में घर आया तो मुझें पता चला कि एस0के0 मेरी पीड़िता बेटी से नाखून पॉलिश मांगने आया था और उसी में कुछ विवाद हुआ और पीड़िता चिल्लायी और लोगों के कहने पर मेरी पत्नी ने यह केस विधि विरूद्ध बालक एस0के0 पर कर दिया। पुलिस साक्षी से पूछताछ किया था। साक्षी न्यायालय में विधि विरूद्ध बालक एस0के0 को पहचानती है।

साक्षी प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जैसा मैनें आज न्यायालय में बताया है, यही बातें मैनें पुलिस को भी कहा था। यह केस मेरी पत्नी ने गलतफहमी में विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्ध कर दिया। विधि विरूद्ध बालक ने मेरी पीड़िता बेटी के साथ

किसी प्रकार का कोई गलत काम या व्यवहार नहीं किया था।

8. उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–03 सूचिका पी0एन0डी0 अपने बयान में कही है कि घटना दिनांक 24.01.2022 की है। उस समय मै मायागंज अस्पताल में थी। सूचिका की बहन सुलोचना देवी जल गई थी उसी को देखने गई थी। सूचिका की बड़ी बेटी ए0के0 ने फोन करके बताया कि बच्चा–बच्ची में झगड़ा हो गया है। सूचिका वहां गई तो अगल–बगल के लोगो ने कहा कि केस कीजिए तो सूचिका केस कर दी। सूचिका लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को पहचानती है जिसे प्रदर्श पी–1/पीडब्लू–3 अंकित किया जाता है। माननीय न्यायालय में सूचिका के पीड़िता बेटी का धारा 164 द0प्र0स0 में बयान हुआ था जिसपर गवाह के रूप में सूचिका हस्ताक्षर की थी जिसे प्रदर्श पी–2/पीडब्लू–3 अंकित किया गया है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि लिखित आवेदन में जो लिखा गया है उसको पुलिस ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था और सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था। जो बात लिखित आवेदन में लिखा हुआ है उस तरह की कोई घटना नहीं घटी। केवल बच्चा–बच्ची के झगड़े का मामला था। सूचिका आगे कही है कि मेरी पीड़िता बेटी ने माननीय न्यायालय के सामने जो बयान दी थी उसको भी मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। वहा भी साक्षी का हस्ताक्षर गवाह के रूप में ले लिया था। सूचिका आगे कही है कि मेरी पीड़िता बेटी और विधि विरूद्ध बालक के बीच केवल अलता मांगने के लिए झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। सूचिका यह भी कही है कि मै सिर्फ अपना नाम और हस्ताक्षर बना सकती हूॅं।

9. उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–04 पीड़िता एन0के0 अपने बयान में कही है कि घटना आज से तीन साल पहले की एक बजे दिन का है। उस समय पीडिता अपने घर में थी तो पीड़िता के घर में विधि विरूद्ध बालक एस0के0 अलता मांगने आया था तो पीड़िता को डर लग गया और पीड़िता दरवाजा लगाकर चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो विधि विरूद्ध बालक एस0के0 भाग गया। उस समय पीड़िता अपने घर में अकेली थी तथा पीड़िता की मॉ पीड़िता की मौसी को देखने के लिए मायागंज गई थी। पीड़िता का धारा 164 द0प्र0स0 का बयान हुआ था जिसपर अपना हस्ताक्षर को पहचान कर प्रदर्श पी–2/1/पीडब्लू–4 अंकित किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच भी हुआ था।

पीड़िता अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि विधि विरूद्ध बालक एस0के0 अलता मांगने आया था जिसके कारण से पीड़िता अकेली होने के कारण डर गई थी और चिल्ला दी थी। विधि विरूद्ध बालक एस0के0 पीड़िता के साथ कोई गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था ओर ना ही पीड़िता को छुआ था। पीड़िता कही है कि लोगो के बहकावे में मैने न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 का बयान दी थी तथा इस तरह का कोई घटना नहीं घटी थी।

10.6.26

Additional Sessions Judge, Bhagalpur

10. अभियोजन साक्षी संख्या–05 दिपिका जूही जो इस केस के अनुसंधानकर्ता है अपने बयान में कही है कि दिनांक 28.01.2023 को मै बिहपुर थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थी। इस कांड का अनुसंधान भार तत्कालिन थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा मुझे मिला था। मैने ततपश्चात् लिखित आवेदन का अवलोकन किया। लिखित आवेदन को कांड दैनिकी में अंकित किया। वादिनी का पुनः बयान ली। पीड़िता का धारा 161 द0प्र0स0 के तहत बयान लिया। साक्षी अन्नु कुमारी, अमरजीत कुमार, कविता देवी, पवन दास का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण की। इस कांड का घटनास्थल बिहपुर थानांतर्गत थाना से करीब दो किलोमीटर दक्षिण सोनवर्षा दोमुही चौक रविदास टोला स्थित वादिनी का पक्का का मकान है उसी मकान में दो कमरे व बरामदा है उसी मकान के पूरब दिशा की ओर के कमरे में पीड़िता के साथ विधि विरूद्ध बालक सौरभ कुमार के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई गई है। घटनास्थल की चौहदी उत्तर में अशोक दास का छतदार मकान, दक्षिण में गली बाद बलभद्र दास का छतदार मकान, पूरब में चापाकल बाद फुलझरी दास का पक्का मकान से सटे विधि विरूद्ध बालक सौरभ कुमार का मकान एवं पश्चिम में चौदह नंबर रोड उसके बाद छंगूरी दास का टाटी भूस का झोपड़ी है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच कराया गया। पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 द0प्र0स0 में बयान करवाया गया जिसको मैने कांड दैनिकी में अंकित की हूँ। चिकित्सीय जांच को भी मैने कांड दैनिकी में अंकित की हूँ। चिकित्सीय जांच भी मैने प्राप्त किया है। इस कांड का पृष्ठांकन तत्कालिन थानाध्यक्ष बिहपुर राजकुमार सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मै पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श P-3/PW-5 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक के द्वारा भरा गया है जिसपर त्कालिन थानाध्यक्ष बिहपुर राजकुमार सिंह का हस्ताक्षर में है जिसे मै पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श P-4/PW-5 अंकित किया जाता है। इस कांड को सत्य पाते हुये विधि विरूद्ध बालक सौरभ कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–156/2023 दिनांक 27.05.2023 अंतर्गत धारा 376 भा0द0वि0 एवं धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत समर्पित कि हूँ। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मै पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श P-5/PW-5 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित विधि विरूद्ध बालक सौरभ कुमार को मैने गिरफतार किया था जिसे पहचानती हूँ।

10.6.26

Additional Sessions Judge-I Bhagalpur

अनुसंधानकर्ता दिपिका जूही अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि मै नहीं बता सकती हूँ कि पीड़िता का हस्ताक्षर और आवेदन में लिखावट दोनो भिन्न है या नहीं क्योंकि मै हस्ताक्षर एक्सपर्ट नहीं हूँ। वादिनी का पुनः बयान कितने बजे लिया समय नहीं लिखी हूँ। पीड़िता का धारा 161 द0प्र0स0 के तहत जो बयान लिया वह उसकी मॉ के सामने लिया गया एवं बयान लेने का समय अंकित नहीं है। साक्षी अन्नु कुमारी, अमरजीत कुमार, कविता कुमारी और सूचिका घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटनास्थल के चौहदी के गवाह अशोक दास, फुलझरी दास, छंगूरी दास का बयान नहीं ली। विधि विरूद्ध बालक और पीड़िता का आपस में क्या संबंध था इस संदर्भ में मैने कोई अनुसंधान नहीं की। पीड़िता के

शरीर में किसी भी प्रकार का जख्म मै नहीं पाई थी। पीड़िता के चिकित्सीय जांच रिपोर्ट से यह नहीं पाया गया कि उसके साथ किसी तरह का बलात्कार हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैने वरीय पदाधिकारी के आदेश पर इस कांड में आरोप पत्र समर्पित की हूँ बल्कि अनुसंधान के सभी बिंदूओ को अनुसंधान पूर्ण करने के बाद मैने आरोप पत्र समर्पित की हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।

11. उभयपक्षों का पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध समक्ष साक्ष्य का अवलोकन किया। साक्ष्य के अवलोकन एवं विशलेषण करने के उपरांत विदित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या–02 ए0के0, अभियोजन साक्षी संख्या–06 कविता देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–07 अमरजीत कुमार पक्षद्रोही घोषित हो गये है और घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किये है। साक्षी संख्या–01 पी0डी0 जो पीड़िता के पिता है अपने बयान में कहा है कि पीड़िता मेरी बेटी है। घटना के दिन मैं अपने घर पर नही था और जब शाम में घर आया तो मुझें पता चला कि एस0के0 मेरी पीड़िता बेटी से नाखून पॉलिश मांगने आया था और उसी में कुछ विवाद हुआ और पीड़िता चिल्लायी और लोगों के कहने पर मेरी पत्नी ने यह केस एस0के0 पर कर दियायह केस मेरी पत्नी ने गलतफहमी में एस0के0 के विरूद्ध कर दिया। विधि विरूद्ध बालक ने मेरी पीड़िता बेटी के साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम या व्यवहार नहीं किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–03 पी0एन0डी0 जो इस केस के सूचिका है अपने बयान में कही है कि घटना के समय मै मायागंज अस्पताल में थी। सूचिका की बड़ी बेटी ए0के0 ने फोन करके बताया कि बच्चा–बच्ची में झगड़ा हो गया है। सूचिका वहां गई तो अगल–बगल के लोगो ने कहा कि केस कीजिए तो सूचिका केस कर दी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि लिखित आवेदन में जो लिखा गया है उसको पुलिस ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था और सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था। जो बात लिखित आवेदन में लिखा हुआ है उस तरह की कोई घटना नहीं घटी। केवल बच्चा–बच्ची के झगड़े का मामला था। सूचिका आगे कही है कि मेरी पीड़िता बेटी ने माननीय न्यायालय के सामने जो बयान दी थी उसको भी मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। सूचिका आगे कही है कि मेरी पीड़िता बेटी और विधि विरूद्ध बालक के बीच केवल अलता मांगने के लिए झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या–04 पीड़िता एन0के0 अपने बयान में कही है कि उस समय पीडिता अपने घर में थी तो पीड़िता के घर में विधि विरूद्ध बालक एस0के0 अलता मांगने आया था तो पीड़िता को डर लग गया और पीड़िता दरवाजा लगाकर चिल्लाने लगी। पीड़िता का धारा 164 द0प्र0स0 का बयान हुआ था जिसपर अपना हस्ताक्षर को पहचान कर प्रदर्श पी–2/1/पीडब्लू–4 अंकित किया गया है। पीड़िता अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि विधि विरूद्ध बालक एस0के0 अलता मांगने आया था जिसके कारण से पीड़िता अकेली होने के कारण डर गई थी और चिल्ला दी थी। विधि विरूद्ध बालक एस0के0 पीड़िता के साथ कोई गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था ओर ना ही पीड़िता को छुआ था। पीड़िता कही है कि लोगो के

10.6.26

बहकावे में मैने न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 का बयान दी थी तथा इस तरह का कोई घटना नहीं घटी थी। पीड़िता के प्रतिपरीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था और केवल अकेली होने के कारण चिल्ला दी थी। अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता के पिता और अभियोजन साक्षी संख्या–03 सूचिका ने भी इस बात का समर्थन किया है कि पीड़िता बेटी के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम या व्यवहार नहीं किया गया, केवल बच्चा–बच्ची का झगड़ा का मामला था। अतः गवाहों के बयान से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता के साथ विधि विरूद्ध बालक द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने का या प्रवेशन लैंगिक हमला करने का आरोप सिद्ध नहीं होता है और न हीं बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होता है। अतः विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध धारा 376 भा0द0वि0 एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट का आरोप नहीं बनता है।

12. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सूचिका (पीड़िता की माँ), पीड़िता एवं पीड़िता के पिता के अपने–अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में लेश मात्र भी केस का समर्थन नहीं किये है इसलिए अभियोजन अपने केस को साबित करने में सर्वथा असमर्थ रहा है जिसके आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन गवाह संदेहास्पद हो जाता है तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

13. विधि विरूद्ध बालक एस0के0 के विरूद्ध धारा–**376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट** के आरोप में साक्ष्य का अभाव एवं संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त किया** जाता है। अभिलेख से विदित है कि विधि विरूद्ध बालक एस0के0 पर्यवेक्षण गृह में हैं। अतः उसे पर्यवेक्षण गृह से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को मुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु आदेशित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

10.6.26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
भागलपुर
दिनांक 10.06.2026

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

10.6.26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
भागलपुर
दिनांक 10.06.2026

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

Date of Judgment/Order	10.06.2026
Date of Reserving Judgment/Order	
Uploading Date	17.06.2026
Uploaded by	Neelam Kumari (D.E.O)